फर्द अहकाम

घासीलाल वगै. बनाम गोविन्द वगै.

यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 160/2023

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. R.O. मीटिंग में व्यस्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 27/8/24 को पेश हो।	
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली की आगामी पेशी पर बहस कुर्राजात आवश्यक रखी गई। पत्रावली दिनांक 30/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस कुर्राजात पर सुनी गई। वकील उभय पक्षों को कुर्राजात पर समझाइश की गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्राजात रिपोर्ट पर सहमति दी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का. काश्तकारी अधि. के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल निकल हो तथा बाद धारा दाखिल रिकार्ड हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पींठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
160/2023	07/11/2023	30/08/2024

1. घासीलाल पुत्र रामधन
2. छाजूराम पुत्र रामधन

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दादियापटटी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र लादूराम
2. रघूनाथ पुत्र लादूराम
3. रामफूल पुत्र लादूरा
4. पवन कुमार पुत्र कल्याण सहाय
5. मनिष कुमार पुत्र कल्याण सहाय

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दादियापटटी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आंधी तहसील आंधी ज़िला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री सत्यनारायण माहेश्वरी :– वकील वादीगण
श्री सूरज शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5

दावा बाबत बटंघारा, नाम दुरूस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री सत्यनारायण माहेश्वरी ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम दादियापटटी पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.1300है, खसरा नम्बर 101 रकबा 2.9000है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1700है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.8000है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1400है0, कुल किता 6 कुल रकबा 5.2200है0 का उसमें बने मकानों व उसके लगवा भूमि को मध्य नजर रखते हुए कब्जेकाश्त व सरस–नरस को मध्य नजर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावें। इसी अनुसार वादीगण का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 23.01.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/343 दिनांक 08.08.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों को कुर्रेजात पर समझाईश की गई। वकील उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम दादियापटटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है तथा वादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में घासीराम के स्थान पर घासीलाल व वादी सं0 2 का नाम छाजू के स्थान पर छाजूराम किया जावें। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	गोविन्दा पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा, सा0देह खातेदार, घासीराम पुत्र रामधन हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/4 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चावण्डिया, छाजू पुत्र रामधन हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/4 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चावण्डिया, पवन कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/16 जाति मीणा, सा0देह खातेदार, मनिष कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/16 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रघूनाथ पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/8 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झर, रामफूल पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/8 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झर।	100 101 85 86 87 99	0.1300 2.9000 0.1700 0.0800 1.8000 0.1400	गै0मु0गूणी चाही 3 गै0मु0चाह गै0मु0आबादी चाही 3 गै.मु.रास्ता	—
	योग	किता 6	5.2200	—	—

—: प्रस्तावित :—

क सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	घासीराम पुत्र रामधन हि0 1/2, छाजू पुत्र रामधन हि0 1/2 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बदस्तुर जमाबन्दी	85 87/2 100 101/3	0.1700 0.0900 0.1300 2.1450	गै.मु.चाह चाही 3 गै.मु.गूणी चाही 3	—
	योग	किता 4	2.5350	—	—
2	गोविन्दा पुत्र लादूराम हि0 1/4, रघूनाथ पुत्र लादूराम हि0 1/4, रामफूल पुत्र लादूराम हि0 1/4, पवन कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/8, मनिष कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/8 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमाबन्दी	86 87/1 101/1	0.0800 1.7100 0.7450	गै.मु.आबादी चाही 3 चाही 3	—
	योग	किता 3	2.5350	—	—
3	शामलाती खाता हि0 एंवं राहिन मुताबिक बदस्तुर खाता सं0 16	99 101/2	0.1400 0.0100	गै.मु.रास्ता चाही 3	—
	योग	किता 2	0.1500	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 30/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर .

घासीलाल वगै० बनाम गोविन्दा वगै०

वाद अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर – 160/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री सत्यनारायण माहेश्वरी वकील वादी व श्री सूरज शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम दादियापटटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है तथा वादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में घासीराम के स्थान पर घासीलाल व वादी सं0 2 का नाम छाजू के स्थान पर छाजूराम किया जावें। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

क0 सं0	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	गोविन्दा पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा, सा0देह खातेदार, घासीराम पुत्र रामधन हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/4 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चावण्डिया, छाजू पुत्र रामधन हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/4 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चावण्डिया, पवन कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/16 जाति मीणा, सा0देह खातेदार, मनिष कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/16 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रघूनाथ पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/8 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झर, रामफूल पुत्र लादूराम हि0 1/8 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/8 सम्पूर्ण राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा झर।	100 101 85 86 87 99	0.1300 2.9000 0.1700 0.0800 1.8000 0.1400	गै0मु0गूणी चाही 3 गै0मु0चाह गै0मु0आबादी चाही 3 गै.मु.रास्ता	–
	योग	किता 6	5.2200	–	–

–: प्रस्तावित :–

क सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	घासीराम पुत्र रामधन हि0 1/2, छाजू पुत्र रामधन हि0 1/2 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बदस्तुर जमाबन्दी	85 87/2 100 101/3	0.1700 0.0900 0.1300 2.1450	गै.मु.चाह चाही 3 गै.मु.गूणी चाही 3	–
	योग	किता 4	2.5350	–	–
2	गोविन्दा पुत्र लादूराम हि0 1/4, रघूनाथ पुत्र लादूराम हि0 1/4, रामफूल पुत्र लादूराम हि0 1/4, पवन	86 87/1	0.0800 1.7100	गै.मु.आबादी चाही 3	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

	कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/8, मनिष कुमार पुत्र कल्याण सहाय हि0 1/8 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुताबिक बदस्तुर जमाबन्दी	101/1	0.7450	चाही 3	
	योग	किता 3	2.5350	–	–
3	शामलाती खाता हि0 एवं राहिन मुताबिक बदस्तुर खाता सं0 16	99 101/2	0.1400 0.0100	गै.मु.रास्ता चाही 3	–
	योग	किता 2	0.1500	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/08/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर)

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर)